पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 4218/अका./का.प./2011 रायपुर, दिनांक 19/07/2011

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक मंगलवार, दिनांक 12.07.2011 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1.	डॉ.एस.के.पाण्डेय, कुलपति	--	अध्यक्ष
2.	प्रो. आर.पी. दास	–	सदस्य
3.	प्रो. ए.के. पति	–	सदस्य
4.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार सिंह	–	सदस्य
5.	डॉ. जगदीश गंगवानी	–	सदस्य
6	डॉ. दीपक कारकून	–	सदस्य
7.	डॉ. अरविन्द गिरोलकर	–	सदस्य
8.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
9.	श्री एस.के.चक्रवर्ती	–	सदस्य
10.	डॉ. जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
11.	श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
12.	श्री अशोक लोहिया	–	सदस्य
13.	डॉ. रवि भोई	–	सदस्य
14.	श्री देवजी भाई पटेल	–	सदस्य
15.	श्री रामजी भारती	--	सदस्य
16.	श्री कुलदीप सिंह जुनेजा	–	सदस्य
17.	डॉ. शिवकुमार डहरिया	–	सदस्य
18.	श्री के.के.चन्द्राकर, कुलसचिव	--	सचिव

कार्यवृत्त :

विषय कमांक--1.

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 04.06.2011 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 04.06..2011 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।**

विषय कमांक--2.

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.06.2011 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : **कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 04.06.2011 के निर्णय के पालन प्रतिवेदन की सूचना निम्नलिखित तथ्यों को शामिल करते हुए ग्रहण की गई।**

(i) कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 04.06.2011 की पूरकसूची विषय क्रमांक(1) में हुए निर्णय के संबंध में प्रकरण अनुचित साधन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की सूचना ग्रहण की गई।

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अग्रिम एवं उसकी वसूली की जानकारी कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

विषय क्रमांक--3.

विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 20.06.2011 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20.06.2011 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

विषय क्रमांक--4.

वार्षिक परीक्षा 2011 के संचालन हेतु द्वितीय एवं तृतीय किश्त की राशि रु. 7,40,000/-- एवं 8,82,000/-- कुल रु. 16,22,000/-- का भुगतान किया गया, की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **वार्षिक परीक्षा 2011 के संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों को द्वितीय एवं तृतीय किश्त की राशि रु. 7,40,000/- एवं 8,82,000/- कुल रु. 16,22,000/-- का भुगतान किए जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

विषय क्रमांक--5.

विश्वविद्यालय से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर चुके समस्त कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा, विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र में बनाये रखने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर चुके समस्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा के संबंध में विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र में पूर्व की भांति विश्वविद्यालय चिकित्सक से निशुल्क परामर्श की सुविधा प्रदान की जावे।**

विषय क्रमांक--6.

स्व. अमिताभ राठौर के स्मृति में एम.एस--सी. भौतिकी विषय में स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने हेतु रु. 50,000/-- विश्वविद्यालय कोष में जमा कराये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : स्व. अमिताभ राठौर के स्मृति में एम.एस--सी. भौतिकी विषय में स्वर्ण पदक प्रदान किए जाने हेतु रु. 50,000/-- विश्वविद्यालय कोष में जमा किए जाने की सूचना ग्रहण की गई।

विषय कमांक--7.

डॉ. भगवंत सिंह, प्रोफेसर, दर्शन एवं योग अध्ययनशाला की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 02.06.2011 से 30.06.2011 तक वृद्धि किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **डॉ. भगवंत सिंह, प्रोफेसर, दर्शन एवं योग अध्ययनशाला को दिनांक 02.06.2009 से 01.06.2011 तक स्वीकृत प्रतिनियुक्ति को वृद्धि करते हुए दिनांक 30.06.2011 तक प्रतिनियुक्ति मान्य किया गया।**

विषय कमांक--8.

विश्वविद्यालय विनियम 91 में संशोधन/समावेशन किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विनियम 91 में संशोधन/समावेशन किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया कि इस संबंध में एक समिति का गठन किया जाय, जो शासन के द्वारा निर्धारित पद अनुसार अर्हताएं एवं अन्य बिन्दु पर परीक्षण कर प्रस्ताव देंगे। समिति के सदस्य कुलपति मनोनीत करेंगे।**

विषय कमांक--9

शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को इतिहास विषय में शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : **शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को इतिहास विषय में शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान करने हेतु अनुमोदन किया गया।**

विषय कमांक--10

शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को भूगोल विषय में शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : **शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को भूगोल विषय में शोध केन्द्र की मान्यता हेतु अनुमोदन किया गया।**

विषय कमांक--11

विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न संस्थानों में सौर फोटोवॉल्टाइक पावर प्लांट की स्थापना के संबंध में Chhattisgarh State Renewable energy Development Agency (Creda) के पत्र कमांक 3899/केडा/संजै/2011--12 दिनांक 29.06.2011 पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न संस्थानों में सौर फोटोवॉल्टाइक पावर प्लांट की स्थापना के संबंध में केडा द्वारा प्रेषित पत्र कमांक 3899/केडा/संजै/2011--12 दिनांक 29.06.2011 पर विचार--विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि एक बार पुनः Cast benefit analysis करा ली जाय कि कितनी एनर्जी सेविंग होगी एवं विद्युत खपत में कितनी कमी आएगी।**

पूरक विषयसूची:

क्रमांक–1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.07.2011 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.07.2011 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड एवं विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के लिए निर्धारित परिनियम के अंतर्गत परीक्षण कराकर ही सम्बद्धता आदेश जारी किया जाय।

क्रमांक–2 भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.07.2011 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.07.2011 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि समस्त संबंधित निर्माणाधीन भवनों का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं शासन से स्वीकृत अनुदान राशि के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराया जाए।

क्रमांक–3 छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा उत्तरपुस्तिका निर्माण वर्ष 2011 के देयक रु. 75,81,035/– के भुगतान के स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा उत्तरपुस्तिका निर्माण (वर्ष 2011) के लिए प्राप्त देयक रु. 75,81,035/– के भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

क्रमांक–4 परिनियम 28 के प्रावधान के अनुसार चयन समिति के द्वारा अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों की नियुक्ति की अनुशंसा संबंधित 5 बंद लिफाफा खोले जाने पर विचार करना।

निर्णय : परिनियम 28 के प्रावधान के अंतर्गत चयन समिति के द्वारा निम्नलिखित अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों की नियुक्ति की अनुशंसा का सीलबंद लिफाफा खोला गया:

(1) चयन समिति की अनुशंसानुसार उदन्ती महाविद्यालय देवभोग तथा कर्मा माता कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जामगांव में आवेदक उपस्थित न होने के कारण तथा राजनांदगांव कालेज ऑफ आई.टी. में योग्य उम्मीद्वार नहीं पाये जाने के कारण प्राचार्य पद हेतु पुनः विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया गया।

(2) चयन समिति की अनुशंसानुसार रामचंडी महाविद्यालय सरायपाली के लिए डॉ. ए. एम. श्री के.जी. दीक्षित एवं पं.रामसखा उपाध्याय महाविद्यालय रायपुर के लिए डॉ. सुरेन्द्र रामलाल तिवारी को प्राचार्य पद पर नियुक्ति का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण :

1. सामान्य भविष्य निधि अग्रिम एवं आंशिक अंतिम आहरण की गणना कर्मचारियों द्वारा आहरित वेतन (वेतन बैंड में + ग्रेड वेतन) के आधार पर करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
2. केन्द्रीय क्रय समिति में कार्यपरिषद की ओर से डॉ. गौरीशंकर, प्राध्यापक, सांख्यिकी अध्ययनशाला को सदस्य बनाने का अनुमोदन किया गया।
3. विजन कमेटी की आयोजित बैठकों में बाह्य सदस्यों को सीटिंग फीस रु. 1000/- प्रदान करने हेतु अनुमोदन किया गया।
4. विश्वविद्यालय द्वारा विधिक सलाह के लिए श्री एच.आर.द्विवेदी को रु. 1000/- फीस प्रति प्रकरण प्रदान करने हेतु अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक 4219/अका./का.प./2011 रायपुर, दिनांक 19/07/2011

प्रतिलिपि :-

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उपकुलसचिव(अकादमिक)